इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 28/06/2017 मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण/नगर निगम/प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणों के विरूद्ध चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के क्रम में के0पी0 इण्टर कालेज के सामने होते हुये अमर नाथ झॉ मार्ग, सी0वाई0 चिन्तामणि रोड क्रसिंग से पूरब सी0वाई0 चिन्तामणि रोड होते हुये संगम पेट्रोल पम्प के सामने एल0आई0सी0 रोड होते हुये हाशिमपुर चौराहा होते हुये चर्चलेन चिल्र्डेन हास्पिटल होते हुये जवाहर लाल नेहरू रोड डी0पी0हास्टल के सामने तक रोड पटरियों नालियों से अतिक्रमण हटाया गया जिसमें 03 रैम्प, 01 बाथरूम, 01 गुमटी–ठेले, 03 शाईन बोर्ड, 02 बांस के टट्टर, 03 भट्ठी, तथा नाली पर बने 04 दीवारे ध्वस्त करायी गयी। नगर निगम द्वारा रूपया 5,400.00 (पॉच हजार चार सौ मात्र) का जुर्माना भी वसूला गया। जोन संख्या–01 में जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में सिविल लाइन्स क्षेत्र में 02 निर्माण सील किया गया।

इस कार्यवाही में एडीए से विशेष कार्याधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय, ए0सी0एम0 प्रथम श्री मोहन सिंह, क्षेत्राधिकारी श्री आलोक मिश्रा नगर निगम से जोनल अधिकारी नजूल विभाग के समस्त जिलेदार अतिक्रमण उन्मूलन के अतिरिक्त पुलिस/पी0ए0सी0 बल एवं एडीए प्रवर्तन दल मौजूदा रहे।

इसी क्रम में झूँसी जोन सं0–05 में जोनल अधिकारी श्री पी0एन0यादव के नेतृत्व में त्रिवेणीपुरम गेट से अन्दर सड़क पटरी से संलग्न सरकारी/रेलवे की जमीन पर झूँसी टाउन एरिया के चेयरमैन के भतीजे श्री रमेश चन्द्र यादव पुत्र श्री रामसुख द्वारा किये गये अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण (तीन टीन सेड़ एवं चार पक्की दुकानों)को ध्वस्त कराया गया एवं लगभग 1000 वर्ग मी0 सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त करायी गयी। उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग द्वारा रमेश चन्द्र के विरूद्ध सरकारी जमीन कब्जाने का एफ0आई0आर0 भी झूँसी थाने में पहले से पंजीकृत है। उक्त कार्यवाही के दौरान अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा व्यापक विरोध किया गया परन्तु मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा विरोध को निष्क्रीय करते हुये अवैध निर्माणों का ध्वस्तीकरण कराया गया।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारी के अतिरिक्त थानाध्यक्ष झूँसी सहित थाने की फोर्स तथा क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/भवन निरीक्षक सहित ए0डी0ए0 प्रवर्तन दल बल मौजूद रहा।

(पी0एन0यादव)

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

28.06.17

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क